"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 289] रायपुर, सोमवार, दिनांक 6 अगस्त 2018 — श्रावण 15, शक 1940

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6–42 / 2012 / XII. — खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 10 के उप–नियम (7) के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(ख) इन नियमों के अनुसार पूर्वेक्षण संक्रियाओं को पूर्ण करता है और खनिज पदार्थो की विद्यमानता को स्थापित करता है, ऐसा धारक, अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के नब्बे दिवस के भीतर अथवा संचालक द्वारा ऐसी विस्तारित कालावधि, जो छः माह से अधिक नहीं होगी, में उत्खनन पट्टा प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्ररूप नौ में एक आवेदन करेगा।

2. नियम 13 में,–

(एक) उप–नियम (1) में, शब्द "क्रमशः अनुसूची पांच एवं छः" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची पांच" प्रतिस्थापित किया जाये।

(दो) उप–नियम (2) में, शब्द "सात दिवस" के स्थान पर, शब्द "पंद्रह दिवस" प्रतिस्थापित किया जाये।

(तीन) उप–नियम (2) में, शब्द "अनुसूची पांच / छः" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची पांच" प्रतिस्थापित किया जाये।

3. नियम 16 के उप–नियम (चौदह) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात :–

"(पन्द्रह) यदि समेकित अनुज्ञप्ति का धारक,–

(क) इन नियमों तथा अनुज्ञप्ति के किसी भी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार पूर्वेक्षण संक्रियाओं को पूर्ण करने में असफल रहता है, तो ऐसा धारक, उत्खनन पट्टा प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा और समेकित अनुज्ञप्ति, समाप्त हो जाएगी और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा की गई प्रतिभूति निक्षेप को पूरा अथवा उसके भाग को स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी के लिखित आदेश द्वारा राजसात किया जाएगा।

(ख) इन नियमों तथा अनुज्ञप्ति के निबंधन एवं शर्तो के अनुसार पूर्वेक्षण संक्रियाओं को पूर्ण करता है और खनिज पदार्थो की विद्यमानता को स्थापित करता है, तो ऐसा धारक, अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के नब्बे दिवस के भीतर अथवा संचालक द्वारा ऐसी विस्तारित कालावधि, जो छः माह से अधिक नहीं होगी, में उत्खनन पट्टा प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्ररूप नौ में एक आवेदन करेगा :

परन्तु उत्खनन पट्टा, ऐसे क्षेत्र के लिए प्रदान किया जायेगा जहां खनिज पदार्थो की विद्यमानता पायी गई हो और जो उत्खनन संक्रियाओं के लिए आवश्यक हो तथा यह ऐसे अधिकतम क्षेत्र से अधिक नहीं होगा, जिसके लिए इन नियमों के अधीन उत्खनन पट्टा प्रदान किया जायेगाः

परन्तु यह और कि पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के किसी धारक द्वारा कोई अतिरिक्त क्षेत्र, इसमें सुधार होने के पश्चात्, अभ्यर्पित समझा जायेगा।''

4. नियम 19 का लोप किया जाए।

5. नियम 33 का लोप किया जाए।

6. नियम 37 का लोप किया जाए।

7. 38–क. के उप–नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

''(6) केन्द्र एवं राज्य सरकार की कम्पनियों अथवा निगमों अथवा उसके उपक्रमों के उत्खनन पट्टे अथवा खनि पट्टे के विस्तार के लिए, नियम 43 के अनुसार निर्धारित कालावधि के समाप्त होने से एक वर्ष पूर्व, जिला कार्यालय में इस निमित्त आवेदन किये जाने पर, राज्य सरकार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, पट्टे की अवधि को बीस वर्ष की और अवधि के लिए एक बार ही विस्तारित कर सकेगी।

(7) उप–नियम (6) के अधीन प्रत्येक आवेदन के संबंध में रूपये पचास हजार के गैर वापसी योग्य शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क की राशि, नियम 31 के उप–नियम (3) में यथा विहित राजस्व प्राप्ति शीर्ष में शासकीय कोषालय में जमा की जायेगी।''

8. नियम 46 में,–

(एक) उप–नियम (1) में, शब्द ''अनुसूची पांच एवं छः'' के स्थान पर, शब्द ''अनुसूची पांच'' प्रतिस्थापित किया जाए।

(दो) उप–नियम (2) में, शब्द ''सात दिवस'' के स्थान पर, शब्द ''पन्द्रह दिवस'' प्रतिस्थापित किया जाए।

9. नियम 46 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्–

''46क. प्रतिभूति निक्षेप.–(1) नियम 47 में यथा विनिर्दिष्ट उत्खनन पट्टा विलेख के निष्पादन के पूर्व, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट खनिजों तथा अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए आवेदक, प्रतिभूति निक्षेप के रूप में अनुसूची–चार के कालम (5) में विहित दर की राशि के पांच गुना समतुल्य राशि, निम्नलिखित राजस्व प्राप्ति शीर्ष में जमा करेगा तथा मूल कोषालय रसीदी चालान, पट्टा विलेख के साथ संलग्न किया जाएगा :–

8443 – सिविल जमा

101 – राजस्व प्राप्ति (वापसी योग्य)

(2) उप–नियम (1) के अधीन जमा किया गया निक्षेप, यदि इन नियमों के अधीन समपहृत नहीं हुआ है और पट्टेदार के विरूद्ध कोई अन्य शोध्य बाकी नहीं है, तो पट्टे के अवसान होने पर या उसके पर्यावसान पर, जो भी पूर्वतर हो, कलेक्टर द्वारा वापस किया जाएगा।''

10. नियम 51 में,–

(एक) उप–नियम (6) में, शब्द ''एक वर्ष की संचयी कालावधि'' के स्थान पर, शब्द ''लगातार बारह माह की अवधि'' प्रतिस्थापित किया जाए।

(दो) उप–नियम (14) में, शब्द ''प्ररूप–चौदह'' के स्थान पर, शब्द ''छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 के प्ररूप–दो'' प्रतिस्थापित किया जाए।

(तीन) उप–नियम (14) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

''(14क) अनुसूची–तीन में, जिन खनिजों की स्वामिस्व की दर प्रति टन पर नियत की गयी है ऐसे खनिजों के उत्खनन/खनि पट्टा क्षेत्र में तौल मशीन की स्थापना करेगा और पट्टा क्षेत्र में खनन किये गये और पट्टा क्षेत्र से निकासी किये जाने वाले उक्त सभी खनिजों को तौलेगा और प्रत्येक दिन की समाप्ति के पूर्व 24 घंटे के दौरान निकाले गये या विक्रय किये गये खनिज/खनिज उत्पाद का लेखा संधारित करेगा।

परन्तु राज्य शासन, विशेष परिस्थितियों में, पट्टा क्षेत्र में तौल मशीन स्थापित करने के लिए विशेष शर्तों के साथ शर्त में छूट दे सकेगा।''

(चार) उप–नियम (26) में, शब्द, अंक एवं विराम चिन्ह ''उप–नियम (1), (3), (4), (11), (12) या (13)'' के स्थान पर, शब्द, अंक एवं विराम चिन्ह ''उपनियम (1), (3), (4), (11), (12), (13) या नियम 24'' प्रतिस्थापित किया जाए।

11. नियम 58 में,–

(एक) उप–नियम (4) के खण्ड (गग) में, शब्द तथा विराम चिन्ह ''अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों, सरल क्रमांक (2) में विनिर्दिष्ट खनिज को छोड़कर, जिसके लिए'' का लोप किया जाए।

(दो) उप–नियम (4) के खण्ड (गग) में, शब्द ''प्ररूप–तीन ख'' के स्थान पर, शब्द ''प्ररूप–बाईस क'' प्रतिस्थापित किया जाए।

(तीन) उप–नियम (4) के खण्ड (गगग) में, शब्द ''अनुसूची–दो के भाग–क में अन्तर्विष्ट खनिजों, सरल क्रमांक (2) में विनिर्दिष्ट खनिज को छोड़कर, जिसके लिए'' का लोप किया जाए।

12. नियम 59 के उप–नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

''(3) उप–नियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट स्वामिस्व के अतिरिक्त, स्वामिस्व के तीस प्रतिशत समतुल्य राशि, जिला खनिज संस्थान न्यास के अंशदान निधि में संदाय की जाएगी।''

13. नियम 60 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

''60. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अधीन स्वीकृत खनि पट्टा क्षेत्र में खनन के दौरान प्राप्त होने वाले गौण खनिज के निपटारे की अनुमति.– खनि पट्टा क्षेत्र में खनन संक्रिया अथवा प्रसंस्करण/बेनीफिकेशन/क्रशिंग के दौरान अधिभार/अनुपयोगी पत्थर के रूप में प्राप्त होने वाले किन्हीं गौण खनिजों, जिसका खनन योजना के अनुसार खनन क्षेत्र की भूमि के उद्धार के लिए उपयोग किया जाना नहीं दर्शाया गया हो, ऐसे गौण खनिजो के निर्माण कार्यो अथवा खनिज संरक्षण की दृष्टि से अन्य कार्यों में उपयोग/विक्रय के लिए अनुमति गौण खनिज हेतु निर्धारित स्वामिस्व एवं जिला खनिज संस्थान न्यास में देय अंशदान के अग्रिम भुगतान किये जाने पर राज्य शासन द्वारा दी जायेगी।

परन्तु ऐसे गौण खनिजो के पट्टा क्षेत्र में भण्डारित मात्रा से विभागीय अधिकारी द्वारा एकत्रित नमूनों का आवश्यक परीक्षण किये जाने के उपरांत ही, खनिज संरक्षण की दृष्टि से मायनिंग प्लान/स्कीम के अनुसार निश्चित मात्रा और निश्चित कालावधि के लिए गौण खनिज के रूप में उपयोग/विक्रय करने की अनुमति दी जायेगी।

14. नियम–75 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

''75क. उत्खनन पट्टों में स्टार रेटिंग.– शासन द्वारा स्टार रेटिंग हेतु निर्धारित मापदण्डों के आधार पर आंकलन कर, उत्खनन पट्टों को 5 स्टार, 4 स्टार एवं 3 स्टार के रूप में अवार्ड किया जायेगा।''

15. अनुसूची–पांच में, शब्द ''अनुसूची एक के भाग–क और भाग–ग'' के स्थान पर, शब्द ''अनुसूची– एक'' प्रतिस्थापित किया जाए।

16. अनुसूची–छः का लोप किया जाए।

17. प्ररूप–चार के भाग चार के खण्ड (1) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

''परन्तु यह कि स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा, अनुज्ञप्ति की समाप्ति या संक्रियाओं के परित्याग या अनुज्ञप्ति के पर्यावसान, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, के नब्बे दिवस के भीतर अथवा संचालक द्वारा ऐसी विस्तारित कालावधि, जो छः माह से अधिक नहीं होगी, में उत्खनन पट्टा प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्ररूप नौ में एक आवेदन प्रस्तुत किया है

और ऐसे क्षेत्र में खनिज भण्डार स्थापित करने के लिये संक्रियायें किया है, समेकित अनुज्ञप्ति के निर्बंधन एवं शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन नहीं किया है, और अन्यथा उत्खनन पट्टा अनुदत्त किये जाने के लिए योग्य व्यक्ति है।''

18. प्ररूप–चार–क के भाग–दो के खण्ड (7) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

''(7क) कार्यपालन प्रतिभूति की जप्ती एवं समायोजन :–

(एक) नियम 13 के प्रावधानों के अनुसार कार्यपालन प्रतिभूति के रूप में रूपये .....के डिमांड ड्राफ्ट अथवा तीन वर्ष की कालावधि के लिए प्रस्तुत वैध बैंक गारंटी, जिसे समय–समय पर पूर्ण पट्टा अवधि के दौरान बढ़ाया जाएगा। कार्यपालन प्रतिभूति पर कोई ब्याज नहीं होगा।

(दो) पूर्वेक्षण कार्य के उपरांत खनि/उत्खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने की स्थिति में, कार्यपालन प्रतिभूति, खनि/उत्खनन पट्टा के लिए समायोजित की जा सकेगी, अन्यथा वापस की जाएगी।

(तीन) नियम एवं अनुबंध के शर्तों एवं निबंधनों के उल्लंघन की स्थिति में, उल्लंघन का उपचार किये जाने के लिए अवसर दिये जाने के उपरांत, कार्यपालन प्रतिभूति राशि का समस्त या कुछ भाग, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी उचित समझे, जप्त करेगा।''

19. प्ररूप–चार–क के भाग–चार के खण्ड (1) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

''परन्तु यह कि स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा, अनुज्ञप्ति की समाप्ति या संक्रियाओं के परित्याग या अनुज्ञप्ति के पर्यावसान, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, के नब्बे दिवस के भीतर अथवा संचालक द्वारा ऐसी विस्तारित कालावधि, जो छः माह से अधिक नहीं होगी, में उत्खनन पट्टा प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्ररूप नौ में एक आवेदन प्रस्तुत किया है और ऐसे क्षेत्र में खनिज भण्डार स्थापित करने के लिये संक्रियायें किया है, समेकित अनुज्ञप्ति के निर्बंधन एवं शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन नहीं किया है, और अन्यथा उत्खनन पट्टा अनुदत्त किये जाने के लिए योग्य व्यक्ति है।''

20. प्ररूप आठ के टीप महत्वपूर्ण में, शब्द ''पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के निष्पादन की तारीख से एक वर्ष या'' का लोप किया जाए।

21. प्ररूप–तेरह में,–

(एक) भाग–सात के खण्ड 15 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

''15क. कार्यपालन प्रतिभूति की जप्तीः–

(एक) नियम 13/46 के प्रावधानों के अनुसार कार्यपालन प्रतिभूति के रूप में रूपये .... के डिमांड ड्राफ्ट अथवा तीन वर्ष की कालावधि के लिए प्रस्तुत वैध बैंक गारंटी, जिसे समय–समय पर पूर्ण पट्टा अवधि के दौरान बढ़ाया जाएगा। कार्यपालन प्रतिभूति पर कोई ब्याज नहीं होगा।

(दो) पूर्वेक्षण कार्य के पश्चात् खनि/उत्खनन पट्टा प्रदान किये जाने की दशा में, कार्यपालन प्रतिभूति, खनन/उत्खनन पट्टा के लिए समायोजित किया जा सकेगा, अन्यथा वापस किया जायेगा।''

(दो) भाग–सात के खण्ड 19 के उप–खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :–

''(ञ) अनुसूची–तीन में, जिन खनिजों की स्वामिस्व की दर प्रति टन पर नियत की गयी है, ऐसे खनिजों के उत्खनन/खनि पट्टा क्षेत्र में तौल मशीन की स्थापना करेगा और पट्टा क्षेत्र में खनन किये गये और पट्टा क्षेत्र से निकासी किये जाने वाले उक्त समस्त खनिजों को तौलेगा और प्रत्येक दिन की समाप्ति के पूर्व, 24 घंटे के दौरान निकाले गये या विक्रय किये गये खनिज/खनिज उत्पाद का लेखा संधारित करेगा।

परन्तु विशेष परिस्थिति में, पट्टेदार द्वारा औचित्य के साथ प्रस्तुत आवेदन पर, संचालक की सहमति एवं अनुशंसा पर, राज्य शासन द्वारा पट्टा क्षेत्र में तौल मशीन लगाने के लिए विशिष्ट शर्तों के साथ शर्त में छूट दी जा सकेगी। जब तक छूट नहीं दी जाती है तब तक पट्टा क्षेत्र से खनिज परिवहन नहीं किया जा सकेगा।''

(तीन) भाग–आठ के खण्ड 3 का लोप किया जाए।

(चार) भाग–आठ के खण्ड 5 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

''6 कार्यपालन प्रतिभूति निक्षेप की प्रतिदायें.– इस पट्टे के पर्यावसान होने के पश्चात, ऐसी तारीख को, जिसे कलेक्टर चयन करे, इस पट्टे के संबंध में भुगतान की गयी कार्यपालन प्रतिभूति राशि अथवा बैंक गारंटी, जैसी भी स्थिति हो, जिसका उपयोजन इस पट्टे में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए अपेक्षित नहीं है, पट्टेदार/पट्टेदारों को प्रतिदाय की जाएगी। कार्यपालन प्रतिभूति पर कोई ब्याज नहीं होगा।''

22. प्ररूप चौदह का लोप किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 06 अगस्त, 2018

क्रमांक एफ 6–42/2012/XII. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6–42/2012/XII, दिनांक 06 अगस्त, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, सचिव.

Naya Raipur, the 6th August 2018

NOTIFICATION

No. F 6-42/2012/XII. — In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For clause (b) of sub-rule (7) of rule 10, the following shall be substituted, namely:-

"(b) completes the prospecting operations in accordance with these rules and establishes the existence of the minerals, such holder shall make an application in Form IX to the Competent Authority for grant of quarry lease within ninety days from expiry of licence period or the such extended period by Director which shall not be more than six months."

2. In rule 13,-

(i) in sub-rule (1), for the words "Schedule V and VI respectively, the words "Schedule V" shall be substituted.

(ii) in sub-rule (2), for the words "seven days", the words "fifteen days" shall be substituted.

(iii) in sub-rule (2), for the words "Schedule V and VI, the words "Schedule V" shall be substituted.

3. After sub-rule (xiv) of rule 16, the following shall be added, namely : -

"(xv) If the holder of composite license,-

(a) fails to complete the prospecting operations in accordance with these rules and terms and conditions of the licence, such holder shall not be eligible for grant of the quarry lease and the Composite license shall expire and the security deposited by the licensee shall be confiscated whole or its part by a written order of the sanctioning authority;

(b) completes prospecting operations in accordance with these rules and terms and conditions of the licence, and establishes the existence of the minerals, such holder shall make an application in Form IX to the Competent Authority for grant of quarry lease within ninety days from expiry of licence period or such period as extended by the Director, which shall not be more than six months:

Provided quarry lease shall be granted for the such area where existence of mineral has been established and necessary for quarry operations and shall not be more than the maximum area for which quarry lease shall be granted under these rules:

Provided further that any additional area, shall be deemed to be surrendered after it is corrected by any holder of the prospecting licence."

4. Rule 19 shall be omitted.

5. Rule 33 shall be omitted.

6. Rule 37 shall be omitted.

7. After sub-rule (5) of rule 38-A, the following shall be added, namely :-

"(6) The State Government, upon an application made to it in this behalf at district office by the Central and State government company or corporations or their undertaking for extension of their quarry lease or mining lease, one year prior to their expiry of lease period as per rule 43, for the reason to be recorded in writing, extend the period of lease for further period of twenty years for one time only.

(7) Non refundable fees of rupees fifty thousand in respect of each application under sub-rule (6) shall be paid. The amount of the fee shall be deposited in government treasury in the revenue receipt head as prescribed in sub-rule (3) of rule 31."

8. In rule 46,-

(i) in sub-rule (1), for the words "Schedule V and VI", the words "Schedule V" shall be substituted.

(ii) in the sub-rule (2) for the words "seven days", the words "fifteen days" shall be substituted.

9. After rule 46, the following shall be added, namely :-

"46A. Security Deposit.- (1) Before the execution of quarry lease deed as specified in rule 47 for minerals specified in Schedule I and Part-A of Schedule II, the applicant shall deposit an amount equivalent to five times of the rate prescribed in column (5) of Schedule IV in following revenue receipt head as security deposit and original treasury chalan shall be attached with the lease deed:-

8443 - Civil deposits

101 - Revenue Receipts (Refundable)

(2) Deposits deposited under sub-rule (1), if not forfeited under these rules and there is no other dues against the lessee, then on the expiry or determination of the lease, whichever is earlier, shall be refunded by the Collector."

10. In the rule 51,-

(i) in sub-rule (6), for the words "cumulative period of one year", the words "continuous period of twelve months" shall be substituted.

(ii) in sub-rule (14), for the words "Form-XIV", the words "Form-II of Chhattisgarh Mineral (Mining, Transportation and Storage) Rules, 2009" shall be substituted.

(iii) after sub-rule (14), the following shall be added, namely : -

"(14A) weighing machine shall be established within quarry/mining lease area of those minerals for which royalty has been fixed on per ton basis in Schedule-III, and shall weigh all the said minerals which were excavated in lease area and dispatched from lease area and shall at the close of each day maintain the account of mineral/product raised or sold within 24 hours:

Provided that in special circumstances, the State Government, may with special conditions relax the condition of establishing weighing machine within lease area."

(iv) in sub-rule (26), for the words, figures and punctuations "sub-rule (1), (3), (4), (11), (12) or (13)", the words, figures and punctuations "sub-rule (1), (3), (4), (11), (12), (13) or rule 24" shall be substituted.

11. In rule 58,-

(i) in clause (cc) of sub-rule (4), the words and punctuation "for minerals specified in Part A of Schedule II, except mineral specified in serial number (2);" shall be omitted.

(ii) in clause (cc) of sub-rule (4), for the words "Form III B", the words "Form XXII A" shall be substituted.

(iii) in clause (ccc) of sub-rule (4), the words, "for minerals contained in Part A of schedule II except mineral specified in serial number (2);" shall be omitted.

12. After sub-rule (2) of rule 59, the following shall be added, namely : -

"(3) In addition to the royalty as specified in sub-rule (2), thirty percent equivalent amount of royalty shall be paid in the contribution fund of the District Mineral Foundation Trust."

13. For rule 60, the following shall be substituted, namely :-

"60. Permission for disposal of Minor Minerals obtained during excavation work within Mining Lease area granted under the Mines and Mineral (Development and Regulation) Act, 1957.- The State Government shall grant permission for any minor minerals, obtained during mining operation within mining lease area or as an overburden/ rejects during processing/ beneficiation/crushing and such minor mineral is not going to be utilised for rehabilitation of the land of mining area as per mining plan, for the purpose of utilisation in construction activities or utilisation in other works/sale in view of conservation of mineral on advance payment of royalty and contribution to District Mineral Foundation Trust:

Provided after required testing of samples collected by the departmental officer from the stack of minor mineral from lease area permission shall be given for use/sell as minor mineral for fixed quantity and for fixed period in view of conservation of mineral as per the mining plan/scheme."

14. After rule 75, the following shall be inserted, namely :-

"75A. Star rating of Quarry Lease.- The Government shall award the 5 star, 4 star and 3 star rating to the quarry leases after assessing them based on the criteria specified for star rating."

15. In Schedule-V, for the words "Part-A and Part-C of Schedule-I.", the words "Schedule-I" shall be substituted.

16. Schedule-VI shall be omitted.

17. For the proviso of clause (1) of Part (IV) of Form-IV, the following shall be substituted, namely: -

"Provided that sanctioning authority is satisfied that licensee/ licensees has submitted an application in Form-IX to the Competent Authority for grant of quarry lease within ninety days of the expiry of licence, or abandonment of operations or termination of the license, which is earlier or such period as extended by the Director, which shall not be more than six months and carried out the operations for establishing the mineral deposit in the area, has not violated any terms and conditions of composite license, and is illegible person for grant of quarry lease."

18. After clause (7) of Part-II of Form-IV A, the following shall be added, namely :-

"(7A). Forfeiture and adjustment of performance securities. –

(i) As per the provision of rule 13, demand draft of Rupees..... or a bank guarantee valid for three years presented as performance security, the bank guarantee shall be extended from time to time during the entire lease period. There will be no interest on the performance securities.

(ii) In case of grant of the mining/quarry lease after the prospecting work, the performance security may be adjusted for mining/quarry lease, otherwise it will be refunded.

(iii) After giving opportunity to remedy the breach in the case of breach of rules and terms and conditions of the agreement, forfeit the whole or part of the performance security, as the Competent Authority may deem fit."

19. For the proviso of clause (1) of part (iv) of Form-IV-A, the following shall be substituted, namely : -

"Provided that sanctioning authority is satisfied that licensee/ licensees has submitted an application in Form -IX to the Competent Authority for grant of quarry lease within ninety days of the expiry of licence, or abandonment of operations or termination of the license, which is earlier or such period as extended by the Director, which shall not be more than six months and carried out the operations for establishing the mineral deposit in the area, has not violated any terms and conditions of composite license, and is illegible person for grant of quarry lease."

20. In Important note of Form-VIII, the words "after expiration of one year from the date of execution of the prospecting license or " shall be omitted.

21. In Form XIII,-

(i) after clause 15 of Part-VII, the following shall be added, namely : -

"15A Forfeiture of performance securities.- (i) As per the provision of Rule 13/46, demand draft of Rupees..... or a bank guarantee valid for three years presented as performance security, the bank guarantee shall be extended from time to time during the entire lease period. There will be no interest on the performance securities.

(ii) In case of grant of the mining/quarry lease after the prospecting work, the performance security may be adjusted for mining/quarry lease, otherwise it will be refunded."

(ii) after sub-clause (i) of clause 19 of Part VII, the following sub-clause shall be added, namely: -

"(j) weighing machine shall be established within quarry/mining lease area of those minerals for which royalty has been fixed on per ton basis in Schedule-III, and shall weigh the all said minerals which were excavated in lease area and dispatched from lease area and shall at the close of each day maintain the account of mineral/product raised or sold within 24 hours:

Provided in special conditions, with the consent and recommendation of Director on application with justification of lessee, the State Government, may with special conditions relax the condition of establishing weighing machine within lease area. Mineral cannot be transported from lease area until issuance of relaxation."

(iii) Clause 3 of Part VIII shall be omitted.

(iv) After clause 5 of Part VIII, the following shall be added, namely : -

"6 Refund of Performance securities deposits.-
On such date as the Collector may elect after the determination of this lease, the amount of the performance security paid or Bank Guarantee, as the case may be, in respect of this lease and not required to be applied to any purpose mentioned in this lease, shall be refunded to the lessee/lessees. No interest shall run on the performance security."

22. Form XIV shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SUBODH KUMAR SINGH, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय,नया रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.